श्री उदयराम पिता तुलसीराम रेगर निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार

पत्रावली संख्या 04 / 2018

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचना जारी की गई

दिनांक 14.03.2018

पत्रावली पेश हुयी। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से वांछित सूचना प्राप्त नही होने से यह अपील जरिये डाक से प्रेषित की गयी। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लो0सू0अ0 तहसीलदार देवगढ को अपील प्रति भेजकर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0अ0 तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक रीडर / 2018 / 09–10 दिनांक 13.03.2018 से प्रेषित रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत चाही गयी। सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 12.01.2018 को आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होकर अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 चाही गयी सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः– 1–2 दिनांक 16.01.2018 को समयावधि मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना वास्ते अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु मूल आवेदन पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ को प्रेषित किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ के पत्र क्रमांकः–सू0अ0 / 2017–18 / 3065 दिनांक 12.03.2018 द्वारा मे संलग्न इन्द्रा आवास निर्माण संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से सूचना शुन्य है कि सूचना इस कार्यालय को भिजवायी गयी। ग्राम पंचायत दौलपुरा के पत्र क्रमांक 35 दिनांक 08.01.2018 के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार ग्राम दौलपुरा आराजी संख्या 814 / 1 मे इन्द्रा आवास योजना के तहत निर्माण हुए उनके नाम चाहे गए जो इसमें ग्राम पंचायत पर इन्द्रा आवास निर्माण करवाये जाने संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की सूचना की प्रति पत्र के संलग्न है एवं बिन्दु संख्या 02 के अनुसार दौलपुरा बस स्टेण्ड पर व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन से संबंधित है। इसमें आवंटित व्यवसायिक भूखण्डों को पत्रावलिया जांच जिला परिषद्, राजसमन्द को प्रेषित की गई है। पंचायत पर पत्रावलिया प्राप्त होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जाऐगी। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ । उक्त सूचना की प्रति जरिये डाक से अपीलार्थी को प्रेषित की गयी, के अवलोकन पर अपीलार्थी के द्वारा उक्त सूचना को गलत सूचना होना व्यक्त किया गया।

लो0सू0अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित नहीं होने तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ से संबंधित होने से सूचना के अधिकार के तहत जरिये पत्रांक 1–2 दिनांक 16.01.2018 द्वारा अग्रेषित कर अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना पंचायत समिति देवगढ व ग्राम पंचायत दौलपुरा के पत्रांक 35 दिनांक 08.01.2018 द्वारा पूर्व मे ही अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गयी है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त सूचना को गलत होना बताया गया किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया की यह सूचना किस प्रकार से गलत है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध अभिलेख अनुसार ही सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये डाक उपलब्ध करवाया जाना प्रकट है। अतः ऐसी स्थिति मे प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील इसी स्टेज पर निरस्त की जाती है। निर्णय प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)